

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
अधिसूचना

अ०सं०— वि० प्रा० (III) स्थानांतरण-02/2025/

/पटना, दिनांक —

डॉ० अजय कुमार, प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, कैमूर द्वारा दिनांक-18.09.2025 को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार होकर कारावास में रहने के कारण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 की नियम (3) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उक्त कृत्य के कारण डॉ० अजय कुमार, प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, कैमूर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) (क) एवं (ग) तथा नियम-9 (2) (क) के आलोक में इनकी गिरफ्तारी की तिथि-18.09.2025 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

ii. निलंबन अवधि में डॉ० अजय कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

(2) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(अहमद महमुद)

अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक — वि० प्रा० (III) स्थानांतरण-02/2025/

/पटना, दिनांक —

प्रतिलिपि — प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०), विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक — वि० प्रा० (III) स्थानांतरण-02/2025/

/पटना, दिनांक —

प्रतिलिपि —प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, कैमूर/ डॉ० अजय कुमार, प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, कैमूर सम्प्रति निलंबित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक — वि० प्रा० (III) स्थानांतरण-02/2025/

5325

/पटना, दिनांक — 26.09.25

प्रतिलिपि —सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के निजी सहायक/आई०टी० मैनेजर (ई-मेल करने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव-सह-निदेशक।

अपर सचिव-सह-निदेशक।